Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need for India to exit from Basel Agreement and Global Financing Agreement

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा)ः माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में अभी सबसे बड़ी समस्या बैंकों के एनपीए की है। एनपीए का लैवल यूपीए सरकार की गलतियों के कारण बढ़ा है, लगभग आज की स्थिति में आठ लाख करोड़ से दस लाख करोड़ के आसपास है। इसमें इन्होंने जो फंड दिया, किस तरह से दिया, कारपोरेट को दिया, यह अलग विऐाय है, लेकिन मैं अभी दो विऐायों के ऊपर सरकार का ध्यान आकृऐट करना चाहता हूं।...(व्यवधान) बेसेल नॉर्म्स है।...(व्यवधान) मेरा अनुरोध है कि पहले पूरी बात सुन लीजिए। "अधजल गगरी छलकत जाए", आप लोगों की ऐसी हालत हो गई है।...(व्यवधान)

यूपीए सरकार ने दो इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किए, एक बेसेल और दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रैगुलेटरी सिस्टम। इस तरह से दो एग्रीमेंट्स साइन किए, बासेल-I, बासेल-II, दुनिया में इम्पलीमेंट हो गया, भारत में भी हो गया। अब बासेल-III चल रहा है। आपको पता है कि बासिल-I और II के रहते पूरी दुनिया में वऐाऩ 2007-08 में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लेकिन भारत किसी तरह से अपने आपको उसमें से बचा पाया। अब यह बासिल-III है, इसमें जो स्थितियां हैं, उसमें फाइनेंशियल एडीक्वेसी होनी चाहिए। एक तरफ एनपीए बढ़ रहा है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल एडीक्वेसी होनी चाहिए, इसके लिए भारत सरकार ने 2,11,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है जबकि 2,41,000 करोड़ रुपए चाहिए। आरबीआई ने महापात्रा कमेटी बनाई और बनाने के बाद कहा कि भारत की स्थिति दुनिया में कम्पीट करने की नहीं है। यूएस, यूके, यूरोप या डैवलप्ड देशों में बैंकिंग सिस्टम बड़ा है, हमसे बड़े बैंक हैं, अभी हम डैवलपिंग देश हैं।

इस कारण महापात्रा ने कहा कि जो सिचुएशन आने वाली है, उसमें कास्ट ऑफ केपिटल बढ़ने वाली है। इस कारण बैंक के ऊपर ज्यादा स्ट्रैस आने वाला है।

दूसरा, इसका नतीजा यह हुआ कि अभी जो बासेल-III हुआ, उसमें 9 परसेंट कैपिटल कास्ट सीधी साढ़े 11 परसेंट हो गयी। यह इंटरनैशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम जो 1 अप्रैल, 2018 से इम्प्लीमैंट होने वाला है, उसमें एसएलआर और जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी एलसीआर, इन दोनों की कास्ट बढ़ने वाली है। इसके अलावा ग्लोबल सिनरियो में हमने फटका साइन कर लिया है। पूरी दुनिया वोलकर रिपोर्ट लागू करने वाली है। यू.के. ब्राइबरी एक्ट और रीइंफोर्समैंट ऑफ यू.एस.एफसीपीएस आदि सब लागू हो जाने के बाद हम जो क्रेडिट, लेंडिंग और इफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, गांव, गरीब, किसान का विकास करना चाहते हैं, तो उसमें बैंक किसी भी आधार पर 1 अप्रैल, 2018 के बाद क्रेडिट और लैंडिंग देने की स्थिति में नहीं होंगे। इससे देश के इफ्रास्ट्रक्चर पर समस्या आयेगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अपने आपको बासेल-III और इंटरनैशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम से बाहर हो जाना चाहिए या इसे डैफर कर देना चाहिए, नहीं तो देश

का विकास नहीं हो पायेगा। जयहिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुऐपेद्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शिवकुमार उदासि और श्री शरद त्रिपाठी को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विऐाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।